Papers Laid On The Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I rise to lay on the Table a copy each of the following Statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Lok Sabhas:-

SIXTEENTH LOK SABHA

1. Statement No. 20 Thirteenth Session,

2017-2018

[Placed in Library, See No. LT 2483/18/25]

SEVENTEENTH LOK SABHA

2. Statement No. 9 Tenth Session,

2022

[Placed in Library, See No. LT 2484/18/25]

3. Statement No. 7 Twelfth Session,

2023

[Placed in Library, See No. LT 2485/18/25]

4. Statement No. 7 Fourteenth

Session, 2023

[Placed in Library, See No. LT 2486/18/25]

EIGHTEENTH LOK SABHA

6. Statement No. 4 Second Session, 2024

[Placed in Library, See No. LT 2487/18/25]

7. Statement No. 3 Third Session,

2024

[Placed in Library, See No. LT 2488/18/25]

8. Statement No. 1 Fourth Session,

2025

[Placed in Library, See No. LT 2489/18/25]

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 2490/18/25]

- (ख) (एक) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2491/18/25]

- (3) (एक) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (तीन) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2492/18/25]

- (5) (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - [Placed in Library, See No. LT 2493/18/25]
- (7) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2494/18/25]

- (9) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपरोक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2495/18/25]

(11) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2024, जो दिनांक 3 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि 742(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2496/18/25]

- (12) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (दूसरा संशोधन) नियम, 2017, जो दिनांक 15 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1516(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपरोक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2497/18/25]

- (14) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपरोक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2498/18/25]

- (16) (एक) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल वेस्ट के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल वेस्ट के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपरोक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2499/18/25]

- (18) (एक) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपरोक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2500/18/25]

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, आप बैठिए। सदन में उठाई हुई व्यवस्थाएं सदन में दी जाती हैं। सदन के बाहर जो कुछ भी दी जाती हैं, उसकी व्यवस्थाएं मैं आपको व्यक्तिगत बुलाकर दूंगा।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of my colleague Shri Shantanu Thakur, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Gautam Budh Nagar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Gautam Budh Nagar, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2501/18/25]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958:-
 - (i) S.O.616(E) published in Gazette of India dated 4th February, 2025 exempting Indian fishing boats of less than 24 meters in length from the requirements of the Merchant Shipping (Indian Fishing Boats Inspection) Rules, 1988, subject to the conditions that fishing boats carry the equipment prescribed in the rules and regulations, mentioned therein.

- (ii) S.O.826(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2025 regarding guidelines for specialized fishing vessels for fishing operations in the southern ocean.
- (iii) G.S.R.155(E) published in Gazette of India dated 28th February, 2025 making certain amendments in the Notification No. G.S.R. 543(E) dated 02.09.2020.

[Placed in Library, See No. LT 2502/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Sir, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2503/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): Hon. Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the South Asian University, New Delhi, for the year ended 31st December, 2023 together with Audit Report thereon.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the South Asian University, New Delhi, for the year ended 31st December, 2023.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2504/18/25]

? (Interruptions)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 20/2025-सीमा शुल्क जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2025 से बंगाल चना (देसी चना) (एचएस 713 20 20) के आयात पर कुल 10 % का आयात शुल्क लगाने के लिए दिनांक 02 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क और दिनांक 01 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2505/18/25]

? (Interruptions)

12.05 <u>hrs</u>